

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2234451 फैक्स नं. 0771-2222212

ई-मेल: [cgdme@rediffmail.com](mailto:cgdme@rediffmail.com)

क्रमांक 11696/प्रोजेक्ट/संचिशि/2018

रायपुर, दिनांक 5 / 10 / 2018

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ0ग0)

विषय:- निजी नर्सिंग जनरल प्रशिक्षण केंद्रों में फीस के निर्धारण बाबत।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक/पीए/एएफआरसी/236, दिनांक-7.9.2018

---000---

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि सत्र 2018 के लिए जी.एन.एम. फीस के निर्धारण हेतु संचालनालय द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पत्र सचिवालय, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति को प्रेषित किया गया था, संदर्भित पत्र में फीस विनियामक समिति द्वारा जी.एन.एम. पाठ्यक्रम में फीस का निर्धारण प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा नहीं किया जाता है का उल्लेख किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

शासकीय जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में फीस नहीं लिया जाता है, चूंकि निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थाओं में फीस हेतु कोई अधिनियम न होने के कारण सत्र 2018 हेतु संचालनालय स्तर पर दिनांक 05.10.2018 को दिन शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत सचिवालय, फीस विनियामक समिति के पत्र क्रमांक/पीए/एएफआरसी/256, दिनांक 28.09.2018 को जारी छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के बिंदु क्रमांक 10 में उल्लेखित पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में निर्धारित सामान्य श्रेणी के कॉलेजो हेतु बेसिक फीस 39,939.44 (उन्तालीस हजार नौ सौ उन्तातलीस रु. चौवालीस पैसे मात्र) ग्राथ एवं डेवलपमेंट 3,000 (रु. तीन हजार मात्र) एवं इंसेटीव 1,500 (रु.पंद्रह सौ मात्र) निर्धारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जी.एन.एम. 03 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत ही 02 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलता है। अतः पोस्ट बेसिक को आधार मानते हुए कुल शुल्क 44,939.00 है, जिसे पूर्णांक करते हुए कुल शिक्षण शुल्क रु. 45,000.00 होता है।

भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है, जी.एन.एम. पाठ्यक्रम की शिक्षण शुल्क निर्धारण के पश्चात् ही आबंटन जारी किया जाना है। उक्त कुल शिक्षण शुल्क रु. 45,000.00 (रु.पैतालीस हजार मात्र) शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए निजी जी.एन.एम. नर्सिंग संस्थाओं में निर्धारण के लिए समिति द्वारा सहमति व्यक्त किया गया है।

अतः बैठक में सम्मिलित सदस्यों द्वारा अनुशंसित शिक्षण शुल्क रु. 45,000.00 (रु.पैतालीस हजार मात्र) निजी जी.एन.एम. नर्सिंग संस्थाओं में निर्धारण हेतु अनुमोदनार्थ आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

संचालक चिकित्सा शिक्षा  
छत्तीसगढ़

वर्तमान में उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस संस्था ले सकेगी तथा फीस के अंतिम निर्णय अथवा शासन के अनुमोदन अनुसार ही फीस की राशि मान्य की जावेगी।